



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-12122025-268462
CG-KA-E-12122025-268462

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5518]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 9, 2025/अग्रहायण 18, 1947

No. 5518]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 9, 2025/AGRAHAYANA 18, 1947

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 5 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5706(अ).—रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 20 ए की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है, विशेष रेलवे परियोजना के निष्पादन के लिए आवश्यक है, अर्थात्, कर्नाटक राज्य में श्रीरंगपटना - पांडवपुरा में Ch: 121/600-700 (किरणगुरु, रामपुरा गांव) में एलसी नंबर 97 के बदले में आरओबी का निर्माण, इसके द्वारा ऐसी भूमि का अधिग्रहण करने का अपना इरादा घोषित करता है:

उक्त भूमि में रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (1) के अंतर्गत उपरोक्त उद्देश्य के लिए ऐसी भूमि के अधिग्रहण और उपयोग पर आपत्ति उठा सकता है:

प्रत्येक ऐसी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त, पांडवपुरा और मध्यस्थ अर्थात् क्षेत्रीय आयुक्त, बेंगलुरु को श्रीरंगपटना - पांडवपुरा में Ch: 121/600-700 (किरणगुरु, रामपुरा गाँव) में LC संख्या 97 के स्थान पर ROB के निर्माण के लिए लिखित रूप में की जाएगी और उसके आधार बताए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा सुनवाई का अवसर देगा, और ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और ऐसी आगे की जांच, यदि कोई हो, करने के बाद, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है:

उक्त अधिनियम की धारा 20डी की उपधारा (2) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा:

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि की भूमि योजनाएँ और अन्य विवरण सक्षम प्राधिकारी के उपरोक्त कार्यालय, सहायक आयुक्त, पांडवपुरा में उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति द्वारा उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य में श्रीरंगपटना-पांडवपुरा में Ch: 121/600-700 (किरणगुरु, रामपुरा गाँव) पर LCP संख्या 97 के स्थान पर ROB के निर्माण की प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के अंतर्गत आने वाली, संरचना सहित या रहित, अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: मांड्या

तालुक: श्रीरंगपटना

होबली: के. शेटी हल्ली - 01

गांव: किरणगुरु

क्रसं	स सं	लाभार्थी	कुल (ए - गुं)	भूमि का वर्गीकरण	खरब (ए - गुं)	अधिग्रहण की सीमा (ए - गुं)	विस्तार वर्ग मीटर में	हेक्टेयर में विस्तार	पेड़ों और पौधों का विवरण	इमारतें और अन्य
1	784/1	एस. टी. सुधा पत्नी जी. नागराजू	0-05 1/4	गीली भूमि	शून्य	0-05 1/4	531.14	0.0531	-	-
2	784/2	भाग्यम्मा पत्नी गंगादर	0-00 1/4	गीली भूमि	शून्य	0-00 1/4	25.29	0.0025	-	इमारत से जुड़ी छत पर झुकना 0-0 1/4 गुंटा
3	784/3	पी. नागराजू पुत्र स्व. पुट्टय्या	0-00 3/4	गीली भूमि	शून्य	0-00 3/4	75.88	0.0076	-	-
4	784/4	पी. नागराजू पुत्र स्व. पुट्टय्या	0-00 3/4	गीली भूमि	शून्य	0-00 3/4	75.88	0.0076	नारियल के पेड़ 02 संख्या	-
5	784/5	रत्ना पत्नी मेलगिरी	0-00 1/4	गीली भूमि	शून्य	0-00 1/4	25.29	0.0025	-	इमारत से जुड़ी छत पर झुकना

										0-0 1/4 गुंटा
6	787/1	रवि. एस. पुत्र श्रीनिवास	0-04	गीली भूमि	शून्य	0-04	404.68	0.0405	-	-
7	787/2	शिवन्ना पुत्र बसवन्ना	0-11	गीली भूमि	शून्य	0-11	1112.87	0.1113	-	-
8	789/2	लक्ष्मण पुत्र स्व. चेन्नेगौडा, मंजूनाथ (संयुक्त)	0-02	गीली भूमि	शून्य	0-02	202.34	0.0202	-	-
9	781	कोमला पत्नी आर. कृष्णगौडा	0-06 1/4	गीली भूमि	शून्य	0-06 1/4	632.31	0.0632	-	-
10	782	डी. के. अविनाश पुत्र आर. कृष्णगौडा	0-06	गीली भूमि	शून्य	0-06	607.02	0.0607	-	-
11	783	डी. के. अविनाश पुत्र आर. कृष्णगौडा	0-00 1/4	गीली भूमि	शून्य	0-00 1/4	25.29	0.0025	-	-
कुल			0-36 3/4	-	-	0-36 3/4	3718.00	0.3718	-	-

जिला: मांड्या

तालुक: श्रीरंगपटना

होबली: के. शेटी हल्ली - 01

गांव: रामपुरा

क्रसं	स सं	लाभार्थी	कुल (ए - गुं)	भूमि का वर्गीकरण	खरब (ए - गुं)	अधिग्रहण की सीमा (ए - गुं)	विस्तार वर्ग मीटर में	हेक्टेयर में विस्तार	पेड़ों और पौधों का विवरण	इमारतें और अन्य
1	26/3	श्री. सी. किरण कुमार पुत्र जे. शेखर	0-17	गीली भूमि	0-04	0-13	1315.21	0.1315	नारियल के पेड़ - 06 संख्या सुपारी के पेड़ - 03 संख्या नारियल के पौधे - 04 संख्या	-

2	30/2	चेलुवेगौड़ा पुत्र आर. सी. चेलुवेगौड़ा	0-00 3/4	गीली भूमि	NIL	0-00 3/4	75.88	0.0076	-	-
3	46/1	सहदेवगौड़ा पुत्र करिगौड़ा	0-09	गीली भूमि	0-03	0-06	607.02	0.0607	नारियल के पेड़ - 15 संख्या सुपारी के पेड़ - 2 संख्या कटहल के पेड़ - 1 संख्या नीम का पेड़ - 1 संख्या	-
4	52	खरब	0-05	सरकार भूमि	0-05	0-00	0.00	0.0000	-	-
कुल			0-31 3/4	-	0-12	0-19 3/4	1998.11	0.1998	-	-

अमूर्त				
क्रसं	गांव का नाम	अधिग्रहण की सीमा		
		(ए - गुं)	विस्तार वर्ग मीटर में	हेक्टेयर में विस्तार
1.	किरनगुरु	0-36 3/4	3718.00	0.3718
2.	रामपुरा	0-19 3/4	1998.11	0.1998
कुल		1-16 1/2	5716.11	0.5716

[फा. सं. डब्ल्यू. 271/नि/बें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 5th December, 2025

S.O. 5706(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20 A of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government (Minsitry of Railway, South Western Railway, Construction Organisation, Bengaluru Cantonmnet) after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of

the Special Railway Project, viz., “Construction of ROB in lieu of LC No. 97 at Srirangapatna - Pandavapura at Ch: 121/600-700 (Kiranguru, Rampura village),” in the state of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land:

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority viz., Assistant Commissioner, Pandavapura and ‘Arbitrator’ viz., ‘Regional Commissioner, Bengaluru’ for Construction of ROB in lieu of LC No. 97 at Srirangapatna - Pandavapura at Ch: 121/600-700 (Kiranguru, Rampura village) in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20 D of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid Office of the Competent Authority viz., Assistant Commissioner, Pandavapura.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure. falling with in the proposed Special Railway Project of Construction of ROB in lieu of LC No. 97 at Srirangapatna - Pandavapura at Ch: 121/600-700 (Kiranguru, Rampura village) in the state of Karnataka.

DISTRICT : MANDYA

TALUK: SRIRANGAPATNA

HOBBI: K. SHETTI HALLI - 01

VILLAGE: KIRANGURU

SI No	Sy No	Beneficiary	Total (A-G)	Classification of Land	Kharab (A-G)	Extent of Acquisition in (A-G)	Extent in sq.mtr.	Extent in Ha	Trees and plants details	Buildings and others
1	784/1	S. T. Sudha W/o G. Nagaraju	0-05 1/4	Wet Land	Nil	0-05 1/4	531.14	0.0531	-	-
2	784/2	Bhagyamma W/o Gangadar	0-00 1/4	Wet Land	Nil	0-00 1/4	25.29	0.0025	-	Lean to roof attached to building 0-0 1/4 Gunta
3	784/3	P. Nagaraju S/o Late. Puttayya	0-00 3/4	Wet Land	Nil	0-00 3/4	75.88	0.0076	-	-
4	784/4	P. Nagaraju S/o Late. Puttayya	0-00 3/4	Wet Land	Nil	0-00 3/4	75.88	0.0076	Coconut trees 02 nos	-
5	784/5	Ratna W/o Melagiri	0-00 1/4	Wet Land	Nil	0-00 1/4	25.29	0.0025	-	Lean to roof attached to building 0-0 1/4 Gunta
6	787/1	Ravi. S S/o	0-04	Wet Land	Nil	0-04	404.68	0.0405	-	-

		Srinivasa								
7	787/2	Shivanna S/o Basavanna	0-11	Wet Land	Nil	0-11	1112.87	0.1113	-	-
8	789/2	Lakshmana S/o Late. Chennegowda, Manjunath (Joint)	0-02	Wet Land	Nil	0-02	202.34	0.0202	-	-
9	781	Komala W/o R Krishnegowda	0-06 1/4	Wet Land	Nil	0-06 1/4	632.31	0.0632	-	-
10	782	D. K. Avinash S/o R. Krishnegowda	0-06	Wet Land	Nil	0-06	607.02	0.0607	-	-
11	783	D. K. Avinash S/o R. Krishnegowda	0-00 1/4	Wet Land	Nil	0-00 1/4	25.29	0.0025	-	-
Total			0-36 3/4	-	-	0-36 3/4	3718.00	0.3718	-	-

DISTRICT : MANDYA**TALUK: SRIRANGAPATNA****HOBLI: K. SHETTI HALLI - 01****VILLAGE: RAMPURA**

SI No	Sy No	Beneficiary	Total (A-G)	Classification of Land	Kharab (A-G)	Extent of Acquisition in (A-G)	Extent in sq.mtr.	Extent in Ha	Trees and plants details	Buildings and others
1	26/3	Sri. C. Kiran Kumar S/o J. Shekar	0-17	Wet Land	0-04	0-13	1315.21	0.1315	Coconut Trees - 06 nos Areka nut trees - 03 nos Coconut plants - 04 nos	-
2	30/2	Cheluvegowda S/o R. C. Cheluvegowda	0-00 3/4	Wet Land	NIL	0-00 3/4	75.88	0.0076	-	-
3	46/1	Sahadevagowda S/o Karigowda	0-09	Wet Land	0-03	0-06	607.02	0.0607	Coconut Trees - 15 nos Areka nut trees - 02 nos Jackfruit	-

									trees - 01 no Neem Tree - 01 no	
4	52	Kharab	0-05	Govt. Land	0-05	0-00	0.00	0.0000	-	-
Total			0-31 3/4	-	0-12	0-19 3/4	1998.11	0.1998	-	-

ABSTRACT				
S. N.	Name of the village	Extent of acquisition		
		A-G	Area in Sq.Mtr.	Area in Ha.
1.	Kiranguru	0A-36 3/4	3718.00	0.3718
2.	Rampura	0A-19 3/4	1998.11	0.1998
Total		1A-16 1/2	5716.11	0.5716

[F.No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction